न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 33/2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00301

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :-
चन्दनमल पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जी, जाति खटीक खींची, निवासी- गोरवों का जाव, खटिको का मौहल्ला, पीपाड शहर, जिला जोधपुर (राजस्थान)		1. हुक्मीचन्द पुत्र चंदनमल, जाति खटीक, निवासी-खटीकों का बास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर (राजस्थान) 2. भुमिधारी तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 20/10/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1042 दिनांक 08.06.2018 ग्राम काला पीपला की ढाणी पटवार हल्का इन्द्रोंका की ढाणी भू. अ. नि. क्षेत्र झीतड़ा तहसील रोहट के विरूद्ध पेश कर इसे निरस्त कराने की ईश्तदुआ की है। अपील म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जैर अपील नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि ग्राम काला पीपल की ढाणी, पटवार हल्का इन्द्रोका की ढाणी भू.अ.नि. झीतड़ा, तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नंबर 795 रकबा 10 बीघा व खसरा नंबर 796 रकबा 10 बीघा किस्म नहरी कुल खसरा 2 कुल रकबा 20 बीघा भूमी स्थित है जो पुश्तैनी भूमी है। जिसमें अपीलांट का प्रमुख हिस्सा है उक्त भूमी का म्यूटेशन गलत तरीके से तहसीलदार रोहट द्वारा म्यूटेशन संख्या 1042 से दिनांक 8.6.2018 को स्वीकृत कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमी के खातेदार स्व. श्री भंवरलाल के पिता थे तत्पश्चात भंवरलाल जी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हुआ उक्त भूमी पुश्तैनी हक अधिकार की भूमी थी भंवरलाल जी के पिता के देहान्त के बाद भंवरलाल जी पुश्तैनी भूमी के खातेदार दर्ज हुए तथा भंवरलाल जी की वसीयत रेस्पोडेंटगण द्वारा तहसीलदार जी के समक्ष पेश की गई। जिसकी पूर्ण समीक्षा किए बगैर ही वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में म्यूटेशन भर दिया गया अपीलांट व रेस्पोडेंट पिता पुत्र है। अपीलांट के समक्ष प्रस्तुत वसीयत की विस्तृत समीक्षा नहीं की गई एवं फौरी तौर पर जांच कर नामान्तरकरण भर दिया कोई भी व्यक्ति की वसियत तभी वैध मानी जायेगी जब वसीयत अन्तर्गत सम्पति वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति है इस अपील में जो विवादग्रस्त भूमी है वह पुश्तैनी भूमी है इस कारण वसीयत प्रथम दृष्टया ही अवैध शुन्य व अपीलांट के हितों के प्रति निष्प्रभावी है। पुश्तैनी भूमी होने से वसियत प्रथम दृष्टया अवैध शुन्य है। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं भरा जाना चाहिए था। श्री भंवरलाल जी अन्त समय में 5 वर्षो तक बीमार रहे एवं अपीलांट के पास ही रहे वसीयतनामा दिनांक 7.9.2009 को निस्पादित किया गया जो मृत्यु से अड़तीस दिवस पूर्व ही किया गया तत्समय उनकी वसीयत करने लायक स्थिति ही नहीं थी। नोटेरी पब्लिक के नोटेरी क्रमांक भी वसीयतनामा में लिखा हुआ नहीं है न साख डाली गई है। भंवरलाल जी हस्ताक्षर करने की स्थिति में ही नहीं थे उनके हस्ताक्षर भी नहीं है वसीयतनामा में चूकी देवी को भंवरलाल जी की पुत्रवधु बताया गया है जबकि चूकी देवी का विवाह रेस्पोडेंट [illegible] दिनांक 20.9.2007 को हुआ था तो सेवा करने का तथ्य कैसे आ सकता है। [illegible] खसरा संख्या नहीं लिखे हुए है। जगह खसरा नंबर की खाली छोड़ी गई है वसीयत भी नोटेरी बि[illegible] की गई है। जो संदेहास्पद है। वादग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नहीं सुना गया है। अपीलांट वसीयतकर्ता का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है जिसे बिना सुने ही आदेश किया गया है जो खारिज योग्य है। इस म्यूटेशन के द्वारा अपीलांट के विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:51 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

अधिकारों को समाप्त बिना अपीलांट को सुने व नोटिस दिए किया गया है जो निरस्त फरमाया जावे। एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे। प्रार्थी के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार नियोजित किए आदेश पारित किया गया है इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपील पेश की जा रही है जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

वकील रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण श्री भंवरलाल की मृत्यु पर्यन्त उनके द्वारा की गई वसियत के पेश करने पर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज एवं पारित किया गया है। उक्त आदेश निरस्त कराने अथवा वसियत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि अपीलार्थी द्वारा वसियत को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी नामान्तरकरण को खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायलय में वसियत प्रोबेट कराने हेतु चाराजोही करनी चाहिए थी। इस अपील के जरिये वसियत व तहसीलदार साहब रोहट द्वारा पारित आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है तथा उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत भी नहीं किया गया है इसलिए अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु निम्न है :—

1. क्या नामान्तरकरण भरने में कोई विधिक प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है ?
2. क्या प्रकरण अन्दर म्याद पेश किया गया है ?

1. जैर अपील नामान्तरकरण तहसीलदार रोहट के मुकदमा संख्या 11/2017 आदेश क्रमांक राजस्व/कोर्ट/18/781 दिनांक की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 8.6.2018 को दर्ज कर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित पारित किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कही कथन नहीं किया गया है कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश की अपील इत्यादि की गई हो। अतः जब तक मूल आदेश बाद चुनौती अपास्त नहीं किया जाता तब तक उसके आधार पर भरे जाने वाले नामान्तरकरण में कोई विधिक/प्रक्रियात्मक त्रुटि साबित नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।
2. उक्त नामान्तरकरण 8.6.2018 को पारित किया गया तथा अपील 4.10.2019 को पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से म्याद बहार है अपीलांट द्वारा 29.9.2018 को वादग्रस्त भूमी में अपीलांट के नाम न होने की जानकारी होना तथा 31.8.2019 को नकल प्रार्थना पत्र देना पेश करना बताया है तथा नकल कब प्राप्त हुई यह अंकित नहीं कर सीधा नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की जाना उल्लेखित किया है जबकि प्रार्थना पत्र में देरीना अपील पेश करने बाबत व्यतीत हुए समय का सम्पूर्ण एवं संतुष्टीपूर्ण कारण बताना आवश्यक है जो नही बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार रोहट द्वारा पारित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1042 दिनांक 08.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-10-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2022.01.30 09:26:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली